"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2017 — फाल्गुन 30, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2017 (फाल्गुन 30, 1938)

क्रमांक-3527/वि. स./विधान/2017. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2017 (क्रमांक 4 सन् 2017) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 4 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2017

वित्तीय वर्ष 2017-2018 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए राज्य की संचित निधि में से 8,09,59,27,44,000 रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग अस्सी हजार नौ सौ उनसठ करोड़ सत्ताईस लाख चवालीस हजार मात्र रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

वर्ष 2017-2018 के लिये अनुदानों की मांगों तथा विनियोगों की अनुसूची
(राज्यपाल द्वारा सिफारिश किये गये रूप में)

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

मांग संख्या	सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है		सम्पूर्ण धनराशि		
			मतदेय	भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
.	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा.	राजस्व	0	32,22,68,14,000	32,22,68,14,000
..	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	0	19,17,38,26,000	19,17,38,26,000
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	1,91,81,72,000	30,01,25,000	2,21,82,97,000
		पूंजी	1,06,66,02,000	0	1,06,66,02,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	28,73,05,000	0	28,73,05,000
03	पुलिस	राजस्व	36,46,86,20,000	66,00,000	36,47,52,20,000
		पूंजी	58,68,10,000	0	58,68,10,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	33,40,95,000	0	33,40,95,000
05	जेल	राजस्व	1,61,12,70,000	10,000	1,61,12,80,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	53,44,41,10,000	50,41,000	53,44,91,51,000
		पूंजी	10,00,000	0	10,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	4,07,38,89,000	75,06,35,000	4,82,45,24,000
		पूंजी	1,12,00,000	0	1,12,00,000
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	9,76,74,44,000	15,26,000	9,76,89,70,000
		पूंजी	3,49,05,00,000	0	3,49,05,00,000
09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	17,48,86,000	10,000	17,48,96,000
		पूंजी	5,50,00,000	0	5,50,00,000
10	वन	राजस्व	10,02,93,59,000	26,75,35,000	10,29,68,94,000
		पूंजी	14,92,21,000	0	14,92,21,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	2,16,65,70,000	25,000	2,16,65,95,000
		पूंजी	71,04,20,000	5,00,000	71,09,20,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	13,85,85,39,000	2,69,41,23,000	16,55,26,62,000
		पूंजी	3,27,15,00,000	0	3,27,15,00,000
13	कृषि	राजस्व	12,64,39,22,000	13,00,000	12,64,52,22,000
		पूंजी	5,59,10,000	0	5,59,10,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,33,28,49,000	20,000	4,33,28,69,000
		पूंजी	22,67,46,000	0	22,67,46,000
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	5,35,82,55,000	0	5,35,82,55,000
		पूंजी	52,00,00,000	0	52,00,00,000
16	मछली पालन	राजस्व	62,26,67,000	20,000	62,26,87,000
		पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
17	सहकारिता	राजस्व	1,27,92,25,000	15,000	1,27,92,40,000
		पूंजी	38,12,01,000	0	38,12,01,000
18	श्रम	राजस्व	1,36,24,00,000	20,000	1,36,24,20,000
		पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	17,76,51,90,000	14,50,000	17,76,66,40,000
		पूंजी	83,26,00,000	0	83,26,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	3,75,02,16,000	10,00,000	3,75,12,16,000
		पूंजी	2,56,93,00,000	0	2,56,93,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,30,10,41,000	0	1,30,10,41,000
		पूंजी	6,47,73,62,000	0	6,47,73,62,000
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय.	राजस्व	27,52,56,000	5,000	27,52,61,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	5,06,20,21,000	1,10,000	5,06,21,31,000
		पूंजी	4,73,14,70,000	25,00,000	4,73,39,70,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	11,35,36,61,000	0	11,35,36,61,000
		पूंजी	22,99,80,00,000	18,31,30,000	23,18,11,30,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,98,71,54,000	5,00,000	1,98,76,54,000
		पूंजी	8,66,56,48,000	0	8,66,56,48,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	40,95,97,000	0	40,95,97,000
		पूंजी	1,50,00,000	0	1,50,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	28,78,85,15,000	3,00,000	28,78,88,15,000
		पूंजी	2,04,54,80,000	0	2,04,54,80,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	62,13,40,000	81,57,000	62,94,97,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	3,24,38,48,000	61,14,75,000	3,85,53,23,000
		पूंजी	35,98,00,000	84,00,000	36,82,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	32,90,90,83,000	2,00,000	32,90,92,83,000
		पूंजी	7,39,17,00,000	0	7,39,17,00,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	39,51,21,000	40,000	39,51,61,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,56,32,31,000	10,000	1,56,32,41,000
		पूंजी	2,00,000	0	2,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	18,90,24,62,000	5,00,000	18,90,29,62,000
		पूंजी	27,00,000	0	27,00,000
34	समाज कल्याण	राजस्व	85,59,43,000	40,000	85,59,83,000
		पूंजी	10,00,000	0	10,00,000
35	पुनर्वास	राजस्व	2,34,73,000	0	2,34,73,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
36	परिवहन	राजस्व	69,32,53,000	20,10,000	69,52,63,000
		पूंजी	42,33,00,000	0	42,33,00,000
37	पर्यटन	राजस्व	32,72,00,000	0	32,72,00,000
		पूंजी	35,50,00,000	0	35,50,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	17,87,36,80,000	50,000	17,87,37,30,000
		पूंजी	6,99,00,000	0	6,99,00,000
40	आयकट विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,12,76,000	0	4,12,76,000
		पूंजी	28,50,00,000	0	28,50,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	1,15,63,94,89,000	10,000	1,15,63,94,99,000
		पूंजी	27,94,56,60,000	15,00,000	27,94,71,60,000
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	15,47,39,00,000	8,42,00,000	15,55,81,00,000
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	70,94,52,000	30,000	70,94,82,000
		पूंजी	1,75,00,000	0	1,75,00,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	6,82,44,66,000	70,000	6,82,45,36,000
		पूंजी	12,27,50,000	0	12,27,50,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	82,87,09,000	0	82,87,09,000
		पूंजी	4,76,50,00,000	0	4,76,50,00,000
46	विज्ञान और टेक्नालाजी	राजस्व	15,75,00,000	0	15,75,00,000
		पूंजी	6,00,00,000	0	6,00,00,000
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग.	राजस्व	3,78,22,54,000	20,000	3,78,23,14,000
		पूंजी	38,45,50,000	0	38,45,50,000
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	5,72,53,000	0	5,72,53,000
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,99,60,000	0	1,99,60,000
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	11,25,60,000	0	11,25,60,000
		पूंजी	3,00,00,000	0	3,00,00,000
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	21,00,60,000	0	21,00,60,000
		पूंजी	31,50,00,000	0	31,50,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,28,50,00,000	0	1,28,50,00,000
		पूंजी	24,20,00,000	0	24,20,00,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	9,14,16,58,000	10,000	9,14,16,68,000
		पूंजी	50,71,50,000	0	50,71,50,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	1,01,50,08,000	10,000	1,01,50,18,000
		पूंजी	1,49,00,000	0	1,49,00,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	5,91,73,21,000	0	5,91,73,21,000
		पूंजी	20,00,000	0	20,00,000
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय.	राजस्व	71,00,000	0	71,00,000
		पूंजी	52,00,00,000	0	52,00,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	37,64,47,07,000	10,000	37,64,47,17,000
		पूंजी	11,07,55,10,000	0	11,07,55,10,000
65	विमानन विभाग	राजस्व	32,76,42,000	10,000	32,76,52,000
		पूंजी	64,00,00,000	0	64,00,00,000
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण.	राजस्व	2,26,75,30,000	0	2,26,75,30,000
		पूंजी	21,14,00,000	0	21,14,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	6,19,68,01,000	46,00,000	6,20,14,01,000
		पूंजी	5,40,16,98,000	0	5,40,16,98,000
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	2,56,80,91,000	0	2,56,80,91,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	7,30,09,00,000	0	7,30,09,00,000
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग.	राजस्व	1,00,73,60,000	0	1,00,73,60,000
		पूंजी	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	6,99,91,00,000	0	6,99,91,00,000
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशो से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	9,00,00,00,000	0	9,00,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,77,45,08,000	3,10,000	5,77,48,18,000
		पूंजी	1,21,14,00,000	0	1,21,14,00,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	37,34,62,92,000	0	37,34,62,92,000
		पूंजी	2,67,00,00,000	0	2,67,00,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	16,93,45,40,000	69,00,00,000	17,62,45,40,000
		पूंजी	4,02,00,00,000	0	4,02,00,00,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	18,94,78,55,000	0	18,94,78,55,000
		पूंजी	1,53,00,00,000	0	1,53,00,00,000
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	43,46,60,000	0	43,46,60,000
		पूंजी	30,00,00,000	0	30,00,00,000
	योग -	**राजस्व**	**5,87,76,67,63,000**	**37,57,47,46,000**	**6,25,34,15,09,000**
		पूंजी	**1,64,79,71,79,000**	**19,45,40,56,000**	**1,84,25,12,35,000**
	वृहद योग		**7,52,56,39,42,000**	**57,02,88,02,000**	**8,09,59,27,44,000**

उद्देश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 4 मार्च, 2017

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.